

— ● —
राजस्थान सरकार

गृह (ग्रुप-10) विभाग

क्रमांक : प. 16 (2) गृह-10/02

जयपुर, दिनांक : 17.1.2002

परिपत्र

विषय : प्रत्येक नतीजा तफतीश (यथा चालान तथा अन्तिम रिपोर्ट) सहायक लोक अभियोजकगण के माध्यम से न्यायालयों में पेश किये जाने के सम्बन्ध में।

इस विभाग के ध्यान में लाया गया है कि कई मामलों में चालान तथा एफ.आर. थाना अधिकारियों द्वारा सीधे ही न्यायालयों में पेश कर दिये जाते हैं। यह प्रवृत्ति सही नहीं है, इससे अभियोजन तथा पुलिस के आंकड़ों में भिन्नता बनी रहती है।

अतः इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते हैं कि प्रत्येक नतीजा तफतीश चाहे वे चालान हो या अन्तिम रिपोर्ट, सहायक लोक अभियोजकगण के माध्यम से प्रस्तुत की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देश प्रदान करें।

विशिष्ट शासन सचिव,
गृह (विधि)